रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 1991/आषाढ़ 18, 1913
No. 24] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 1991/ASADHA 18, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1991

सं. एसे/1114/75-खण्ड-VI/359 --अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1971 (1971 का 43वां) के खण्ड 37 के उप खण्ड (2) की धारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि) विनियम, 1982 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् --

1. (1) इन विनियमों का भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि) संशोधन विनियम 1991 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि) विनियम 1982 में विनियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् -

"(23) प्रत्याहरण— (1) बोर्ड नीचे दिए हुए प्रयोजन के लिए और कालम 4 में दी गई शर्तों के अधीन किसी भी सदस्य को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात्, (खण्डित अवधि सहित, यदि कोई हो) अपने भविष्य निधि खाते में से आवेदन करते समय कर्मचारी के अंशदान और नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान और उस पर ब्याज सहित जमा राशि के 100 प्रतिशत तक के प्रत्याहरण की स्वीकृति दे सकता है जिसमें नियोक्ता द्वारा पिछले दो वर्षों का अंशदान शामिल नहीं होगा।

टिप्पणी :--प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी बनने से पूर्व कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में की गई सेवा को पांच वर्ष की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाएगा, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के अधीन निजी खाते में जमा राशि इन विनियमों के तहत स्थापित भविष्य निधि में जमा कर दी गई हो --

क्रम सं.	प्रयोजन	वह सीमा जिस तक आहरण की राशि स्वीकृत की जा सकती है	शर्तें
1	2	3	4
(1)	मकान बनाने या जमीन खरीदने या मकान या जमीन खरीदने पर होने वाले व्यय के लिए या वर्तमान मकान में विस्तार या परिवर्तन या फेरबदल करने के लिए। तथापि, मकान या लो सदस्य के स्वयं के नाम या उसकी पत्नी/उसके पति के संयुक्त नाम में हो। बशर्ते कि सदस्य ऐसा वचन दे कि वह मकान या स्थान या मकान और स्थान, जैसा भी मामला हो, में गतिरोध या उसमें फेरबदल नहीं करेगा।	इस स्वीकृत अग्रिम राशि, सदस्य के छत्तीस मास के मूल वेतन और महगाई भत्ते की राशि या सदस्य द्वारा किए गए अंशदान और नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान, यदि भुगतान प्राधिकृत करने की तारीख को सदस्य को उसके द्वारा जमा राशि निकालने की अनुमति दी गई हो अथवा आवासीय स्थल के अर्जन के या आवासीय मकान/फ्लैट की खरीद या आवासीय मकान के निर्माण की वास्तविक लागत जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।	(1) कर्मचारी ने पांच वर्ष (सेवा की खण्डित अवधि सहित, यदि कोई हो) की सेवा पूरी कर ली हो। (2) गृह-निर्माण आहरण से छः मास के भीतर प्रारम्भ होना चाहिए और निर्माण के प्रारम्भ होने की तारीख से 18 मास के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। (3) यदि आहरण किसी गृह और/या भवन के लिए स्थान की खरीद करने के लिए किया गया हो तो ऐसी खरीद आहरण से छः मास के भीतर हो जानी चाहिए। (4) यदि प्रत्याहरण गृह की खरीद के प्रयोजन के लिए पहले लिए गए किसी ऋण की अदायगी करने के लिए किया गया है, तो ऋण की अदायगी प्रत्याहरण से तीन मास के भीतर हो जानी चाहिए। (5) जहां प्रत्याहरण गृह के निर्माण के लिए है, वहां वह दो या तीन समान किस्तों में अनुज्ञेय होगा और पश्चातवर्ती किस्त की अनुमति पहले प्रत्याहरण के वास्तविक उपयोग के संबंध में बोर्ड द्वारा सत्यापन के पश्चात् दी जाएगी। (6) प्रत्याहरण की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, यदि गृह और स्थल किसी से मुक्त हों और किसी संयुक्त संपत्ति या भवन या गृह या भूमि के एक भाग की खरीद करने के लिए प्रत्याहरण अनुज्ञेय नहीं होगा जिसका स्वामित्व विभक्त हो। (7) यदि प्रत्याहरण की राशि गृह और/या स्थल के क्रय या निर्माण की वास्तविक लागत से अधिक है या राशि का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए वह ली गई थी तो यथास्थिति अनुज्ञेय या सम्पूर्ण रकम तुरन्त बाद की एकमुश्त में आयकर के नियम 71 में विहित दर पर ब्याज सहित ऐसे प्रत्याहरण के मास से वापस कर दी जाएगी। वापस की गई राशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी।

(2) निधि से वास्तविक प्रत्याहरण राष्ट्रपति या इस निमित्त उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी से प्राधिकार प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। प्राधिकार बोर्ड द्वारा औपचारिक मंजूरी जारी किए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

(3) विनियम 21 के उप विनियम (4) के उपबंध इस विनियम के अधीन निधि से प्रत्याहृत राशि पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

23. (1) आहरण.—(1) बोर्ड किसी भी सदस्य द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लिए जानेपर उसके निधि खाते मे जमा राशि में से निम्नलिखित में से किसी भी प्रयोजनके लिए उसे आहरण करने की मंजूरी दे सकता है, अर्थात् :—

(क) उच्च शिक्षा एवं जहां आवश्यक हो, निम्नलिखित मामलों मे स्वयं और सदस्य के किसी भी बच्चे के लिए शादी व्यय को पूरा करने के लिए, अर्थात् :—

(1) हाई स्कूल स्तर से ऊपर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या वोकेशनल पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर जाना; और

(2) भारत में हाई स्कूल स्तर से ऊपर मेडिकल, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों के लिए, बशर्ते कि अध्ययन पाठ्यक्रम तीन वर्ष की कम अवधि के लिए न हो;

(ख) अपने स्वयं के विवाह और अपने परिवार के सदस्यों के विवाह से संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, जिनमे किसी सदस्य के पुत्र और पुत्रियां ही शामिल है।

टिप्पणी :—अपने स्वयं के विवाह के मामले मे आहरण के लिए अर्हक सेवा की अवधि पांच वर्ष होगी।

(2) आहरण की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(क) 36 मास का वेतन और महंगाई भत्ता; या

(ख) कर्मचारी द्वारा अंशदान की जमा राशि उस पर ब्याज तथा नियोक्ता द्वारा अंशदान की जमा राशि उस पर ब्याज जिसमें नियोक्ता द्वारा पिछले दो वर्षों में किया गया अंशदान और उस पर ब्याज शामिल नहीं है, इनमें जो भी कम हो :

परन्तु भुगतान करने से पूर्व 2 रुपये के एक नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर में कर्मचारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि यह आहरण स्वयं अपने पुत्र/पुत्री के विवाह/उच्च शिक्षा के प्रयोजन के लिए है।

(3) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए भविष्य निधि से आहरणों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अपने पूर्व नियोक्ता से निधियां हस्तांतरित करवाई है तो भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में दस वर्ष की सेवा पूरी करने की सीमा के प्रयोजन के लिए, उसकी पूर्व नियोक्ता के साथ की गई सेवा भी हिसाब में ली जाएगी।"

वी. के. मायुर, अध्यक्ष
(भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

टिप्पणी : भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन निधि) विनियम 1982, अधिसूचना संख्या 15 के तहत 13-11-82 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अब ये यह पहला संशोधन है।

INTERNATIONAL AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1991

No.PERS/1114/75-Vol. VI/359:—In exercise of the powers conferred by claue (b) of sub-section (2) of section 37 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971) the International Airports Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the International Airports Authority of India (Employees Contributory Provident Fund and Family Pension Fund) Regulations, 1982, namely:—

1. (1) These regulations may be called the International Airports Authority of India (Employees Contributory Provident Fund and Family Pension Fund) Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the International Airports Authority of India (Employees Contributory Provident Fund and Family Pension Fund) Regulations, 1982 for regulation 23, the following regulations shall be substituted, namely:—

"(23) Withdrawals- (1) The Board may sanction the withdrawal to the extent of 100% at any time after the completion of five years service (including broken period of service if any) of a member from the accumulations standing to his credit in the Provident Fund at the time of application both in Employees subscription and Employers' contributions account plus interest thereon excluding employer's contributions for the preceding two years for any of the purposes indicated below and subject to the conditions set out in column 4.

Note: The service rendered by an emplyee under Central Government or in a Public Undertaking before he becomes a regular employee of the Authroity, shall be reckoned for the period of five years, subject to the condition that the amount standing to his credit in his Provident Fund Account while under Central

Government or the Public Undertaking has been credited to the Provident Fund established under these regulations:–

Sl. No.	Purpose	Limit upto which withdrawal may be sanctioned	Conditions
1	2	3	4
1.	To meet the expenditure on building a house or purchasing a site or a house and site or making alteration, modification or enlargement in the existing house. The house shall however, be either in the name of a member or in the joint name of his spouse. Provided that the member furnishes and undertaking not to encumber or alternate such a house or site or house and site, as the case may be.	The amount of advance so sanctioned shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for thirty-six months or the member's own share of contributions, together with that amount of the employer's share of contributions admissible had the member been allowed to withdraw accumulation on the date of authorisation of payment with interest thereon or the actual cost towards the acquisition of the dwelling site or the purchase of the dwelling house/flat or the construction of the dwelling house, whichever is less.	(i) The employee shall have completed years of live of service (including broken period of service, if any). (ii) The construction of the house should be commenced within six months of the withdrawal and should be completed within eighteen months from the date of commencement of the construction. (iii) If the withdrawal is made for the purchase of a house and/or a site for a house, the purchase should be made within six months of the withdrawal. (iv) If the withdrawal is made for the repayment of loan previously raised for the purchase of a house, the repayment of the loan should be made within three months of the withdrawal. (v) Where the withdrawal is for the construction of house, it shall be permitted in two or three equal instalments, a later instalment being permitted only after verification by the Board about the actual utilisation of the earlier withdrawal. (vi) The withdrawal shall be permitted only, if the house and/or site is free from encumbrances and no withdrawal shall be permitted for purchasing a share in a joint property or building or house or land whose ownership is divided. (vii) If the amount withdrawal exceeds the actual cost of the purchase or construction of the house and/or site, or if the amount is not utilised for the purpose for which it is drawn the excess or the whole amount, as the case may be shall be refunded to the Board forthwith in lumpsum togethrer with the interest from the month of such withdrawal at the rates prescribed in rule 71 of the Income Tax Rules. The amount refunded shall be credited to the employees Account in the Provident Fund.

(2) The actual withdrawal from the Provident Fund shall be made only on receipt of an authorisation from the President or any other officer specified by him in this behalf. The authorisation shall be issued as soons as the formal sanction of the Board has been issued.

(3) The provisions of sub-regulation (4) of regulation 21 shall mutatis mutandis apply to moneys withdrawn from the Provident Fund under this regulation.

23(i) WITHDRAWALS. (1) Withdrawals may be sanctioned by the Board to a member any time after completing ten years of service from the amount of accumulation standing to the credit of the member in the Fund for any of the following purposes, namely:-

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of self and any child of the member in the following cases namely:—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the high School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage provided that the course of study is for not less than three years;

(b) meeting the expenditure in connection with self marriage and marriage of family members which inter-alia includes only sons and daughters of a member.

Note: Qualifying period of service for withdrawal in case of self marriage will be five years.

(2) The amount of withdrawal shall not exceed:-

(a) 36 months of pay plus dearness allowance; or

(b) amount of employees subscription plus interest thereon and employer's contribution plus interest thereon excluding last two years of employer's contribution plus interest thereon, whichever is less:

Provided that an affidavit on non-judicial stamp paper of Rs. 2/- shall be obtained from the employee stating that the withdrawal is for the purpose of marriage/higher education of self/son/daughter before making the payment.

(3) There shall not be any restriction on the number of withdrawals from the Provident Fund for the above purposes. In case an employee has got the funds transferred from his previous employer, his service with previous employer shall also be reckoned for the purpose of working out the limit of ten years of service in the International Airports Authority of India."

V.K. MATHUR, Chairman

International Airports Authority of India

NOTE:

IAAI (Employees Contributory Provident Fund and Family Pension Fund) Regulations 1982 were notified in the official Gazette on 13-11-1982 vide Notification No 15 and this is the first amendment after that.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
of -110054, 1991